न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मनीष कुमार जाटव, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	17 / 2023
दायर दिनांक	:	07.06.2023
निर्णय दिनांक	:	20.06.2024

1. कैलाश पुत्र मांग्या जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
2. कालुराम पुत्र मांग्या जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
3. रणजीता पुत्र मांग्या जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
4. गुल्ली देवी पुत्री मांग्या जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा
2. श्योजीराम पुत्र भगवानसहाय जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
3. कालुराम पुत्र लल्लुराम जाति मीना, निवासी ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा के रहने वाले हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार को सीमाज्ञान के प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के फलस्वरूप पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीगण के पडौसी खातेदारान है। आराजी खसरा नम्बर 279, 288, 289 वाके ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज हैं एवं प्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं जिससे अन्य किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पडौसी खातेदार की खातेदारी भूमि है, जो अपनी खातेदारी भूमि की आड में प्रा[illegible] सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे की भूमि को [illegible] है जिसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहते है तथा येन केन प्रकारेण प्रार्थीगण की [illegible] को हडप करने की फिराक में रहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान करवाये जाने का प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार जी दौसा के आदेश क्रमांक 07 दिनांक 25.04.2023 की पालना में दिनांक 12.05.2023 को हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर उक्त आराजी का सीमाज्ञान किया व उक्त आराजी की सीमाएँ कायम कर चारों सीमाओं की जानकारी करवाई गई व मौका पर्चा तैयार कर वहां उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये किन्तु इसके बावजूद भी पडौसी खातेदारान अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहा है तथा वे आये दिन सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की भूमि को दबाने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manish Kumar Jatav
Date: 2024.09.24 09:42:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

फिराक में है। यदि अविलम्ब ही प्रार्थीगण की उक्त आराजी की पत्थरगढी नहीं करवाई गई तो मौके पर शान्ति भंग होकर भारी झगडे की स्थित उत्पन्न हो जावेगी ऐसी दशा में भी उक्त आराजी का जरिए पुलिस इमदाद पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या 1 को आदेश फरमावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 279, 288, 289 वाके ग्राम महेश्वरा खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा का मौके पर मय टीम गठित कर जरिए पुलिस इमदाद उक्त किये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी कर सीमाएँ कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार दौसा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम महेसरा खुर्द स्थित खसरा नम्बर 279, 288, 289 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कैलाश पुत्र मांग्या हि० 5/16 जाति मीना, कालूराम पुत्र मांग्या हि० 5/16 जाति मीणा, गुल्ली देवी पुत्री मांग्या हि० 1/16, रणजीता पुत्र मांग्या हि० 5/16 जाति मीणा सा० देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि मौके पर खाली है तथा किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पूर्व में राजस्व दल द्वारा प्रश्नगत आराजी का सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी पर वर्तमान में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश प्रदान किये जावें। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं **तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम महेसरा खुर्द तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 279, 288, 289 का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manish Kumar Jatav
Date: 2024.09.24 09:42:56 IST
Reason: SelfAttested

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा